पत्रांक-3ए-3-भत्ता-01/2017-______1539_____/वि०

# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

## संकल्प

पटना, दिनांक:-12/02/2019

**विषय:- स्पेशल टास्क फोर्स (एस०टी०एफ०) एवं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस०एस०जी०) के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रोत्साहन/विशेष भत्ता पुनरीक्षण के संबंध में।**

स्पेशल टास्क फोर्स (एस०टी०एफ०) एवं विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस०एस०जी०) के कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रोत्साहन/विशेष भत्ता पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-27/07/2018 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एस०एस०जी० तथा एस०टी०एफ० के संदर्भ में प्रोत्साहन/ विशेष भत्ता निर्धारण के सम्बन्ध में समेकित रूप से विचार करने हेतु एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. समिति द्वारा की गई अनुशंसा यह है कि "एस०टी०एफ० एवं एस०एस०जी० की तुलना एन०एस०जी० से करते हुये भत्तों की अनुशंसा की जाय। तदनुसार एस०टी०एफ० एवं एस०एस०जी० के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल हेतु मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता सुलभ कराया जाना उपयुक्त होगा, जिसपर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। चूँकि एस०एस०जी० में पूर्व में भी इस भत्ते की अधिकतम सीमा रु० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) निर्धारित थी, अतः एस०एस०जी० के कर्मियों के लिए रु० 25,000/- की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।"

4. उपर्युक्त अनुशंसा को दृष्टिपथ में रखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एस०टी०एफ० के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल के लिए मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता अनुमान्य किया जाय, जिसपर महंगाई भत्ता अनुमान्य नही होगा।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एस०एस०जी० के अभियान दल के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत तथा गैर अभियान दल के लिए मूल वेतन का 20 प्रतिशत की

दर से विशेष/प्रोत्साहन भत्ता अनुमान्य किया जाय, जिसकी अधिकतम सीमा रु० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र होगी। इस पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) उपर्युक्त पुनरीक्षित विशेष/प्रोत्साहन भत्ता आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

**ह0/-**

**(राहुल सिंह)**

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017-**1539/वि०** पटना, दिनांक-**12/02/2019**

**प्रतिलिपि**-महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**ह0/-**

**(राहुल सिंह)**

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017-**1539/वि०** पटना, दिनांक-**12/02/2019**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**ह0/-**

**(राहुल सिंह)**

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017-**1539/वि०** पटना, दिनांक-**12/02/2019**

**प्रतिलिपि**- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**(राहुल सिंह)**

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।